न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद , न्याय आपके द्वार अभियान् 2018 कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत श्यामपुरा बइजलास कमल कुमार मीना,(आर0ए0एस0)

मि0न0 :– 25 / 2015

बउनवान

महावीर पुत्र श्री भवानीशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम लालाहेडा तह0 सांगोद।

– वादी

बनाम

1– भवानीशंकर पुत्र श्री जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम लालालहेडा तहसील सांगोद।

2– नरेन्द्र पुत्र भवानीशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम लालाहेडा तह0 सांगोद ।

3– जगमोहन पुत्र श्री भवानीशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम लालाहेडा तह0सांगोद

4– ललिता बाई पुत्री श्री भवानीशंकर पत्नि पुरूषोतम नागर जाति धाकड निवासी हींगी तह0 सांगोद ।

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद।

– प्रतिवादीगण

दावा अ0धा0 88,89 188 आरटीएक्ट

वादी की ओर सें इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया कि वादी व प्रतिवादी के 2,3,4 रिश्तें सगे भाई व बहिन है जिनके पिता कम 1 है। वादी व प्रतिवादी को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार मे प्राप्त खतौनी सं0 67 के खसरा नं0 42 रकबा 0.02 है0खसरा नं0 77 रकबा 1.07 है0,ख.न. 78 रकबा 0.32 है0 कुल किता तीन की कुल 1.41 है0 पुश्तैनी आराजी तथा खतोनी सं. 66 के खसरा नं0 260 रकबा 0.01 है0ख.न. 306 रकबा 3.25 है0 ख. न. 310 रकबा 0.27 है0,ख.न.340 की 0.02 है0 ख.न. 341 रकबा 0.19 है0 कुल किता 5 की कुल 3.74 है0 पुश्तैनी आराजी माल ग्राम ईदलपुर तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों की पुश्तैनी सम्पत्ति है जों पक्षकारान् को वादी के दादाजी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ पुत्र श्री काना सें उत्तराधिकार में प्राप्त हुई जिसकी

पुष्टि ग्राम ईदलपुर की नकल जमाबंदी सवंत 2045–48 खतोनी सं0 16 नकल जमाबंदी संवत् 2049–52 खतोनी सं.13से भी होती है जिसमें वादग्रस्त आराजी वादी के दादाजी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी के खाते दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी के पूर्वजो से प्राप्त पुश्तैनी आराजी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत वादी को उक्त आराजी में प्रतिवादीगण के साथ साथ जन्मजात् अधिकार हासिल है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि. पुश्तैनी होने से उक्त आराजी में प्रतिवादीगण के साथ बाट–बराबर का हक अधिकार हॉसिल है। साथ ही वादी प्रतिवादी कम 1 के जीवनकाल में ही अपने काश्तकारी अधिकारों की धोषणा करवाकर स्वंय का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी शादीशुदा धर गृहस्थी वाला व्यक्ति है जो वादग्रस्त आराजी में निहित स्वंय के हिस्सें की आराजी को काश्त करके अपने परिवार का भरणपोषण करता है तथा कुछ दिनों सें प्रतिवादी कम जन्मजात् अधिकार हासिल है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से उक्त आराजी में प्रतिवादीगण के साथ बाट–बराबर का हक अधिकार हॉसिल है। साथ ही वादी प्रतिवादी कम 1 के जीवनकाल में ही अपने काश्तकारी अधिकारों की धोषणा करवाकर स्वंय का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी शादीशुदा धर गृहस्थी वाला व्यक्ति है जो वादग्रस्त आराजी में निहित स्वंय के हिस्सें की आराजी को काश्त करके अपने परिवार का भरणपोषण करता है तथा कुछ दिनों सें प्रतिवादी कम 1 प्रतिवादी 2,3 के साथ निवास करने लगा है व प्रतिवादी कम 1 धमकिया देने लगा है कि वादी को वादग्रस्त आराजी मे से 1 इंच भी आराजी नही देगा 9 व सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी 2,3,के खाते बाधने को आमादा है। जिसमें यदि प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य मे कभी पूर्ति नही हो सकेगी तथा वादी के परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जायेगी। ऐसी परिस्थितियों में वादी के लिए अपने अधिकारों की धोषणा करवाने व राजस्व रेकार्ड में स्वंय का नाम दर्ज करवाने व प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य नही करने हेतु पाबन्द करने के लिए यह वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक् हो गया है।

अतःवादी की ओर से उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये समन्न तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 19.5.2018 को इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने में सहमति वयक्त की। दिनांक 9.5. 2018 को ललिताबाई पुत्री श्री भवानीशंकर पत्नि पुरूषोतम नागर जाति धाकड निवासी हींगी तह0 सांगोद द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिस पर वकील वादी द्वारा NO- Objection किया । विवादित आराजी में ललिताबाई को अधिकार निहित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । वकील वादी द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया। पक्षकारान् की ओर से उक्त तिथि को ही उपस्थित होकर दावा डिक्री किये जाने हेतु राजीनामा पेश किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर विवादित आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी आराजी होना प्रतीत होता है तथा हिन्दु उत्तराधिकार

अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिता के नाम अंकित पुश्तैनी आराजी में पुत्रों को भी जन्मजात अधिकार प्राप्त होते है जिनकी धोषणा करवाने का वारिसान् को पूर्ण अधिकार होता है।

अतःदावा वादी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम ईदलपुर तहसील सांगोद में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 42 रकबा 0.02 है0खसरा नं0 77 रकबा 1.07 है0,ख.न. 78 रकबा 0.32 है0 कुल किता तीन की कुल 1.41 है0 पुश्तैनी आराजी तथा खतोनी सं. 66 के खसरा नं0 260 रकबा 0.01 है0ख.न. 306 रकबा 3.25 है0 ख.न. 310 रकबा 0.27 है0,ख.न.340 की 0.02 है0 ख.न. 341 रकबा 0.19 है0 कुल किता 5 की कुल 3.74 है0 वादी व प्रतिवादीगण 1,2,3,4, को बॉट–बराबर का खातेदार कृषक धोषित किया जाता है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी 1,2,3,4, का नाम बांट–बराबर में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

कमल कुमार मीना

उपखण्ड अधिकारी सांगोद